5.5 लाख की बांग्लादेशी मुद्रा जब्त की है बीएसएफ जवानों ने बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर। यह विदेशी मुद्रा साइकिल के टायर के अंदर छिपाकर रखी थी।

पोस्टर हटाने के आदेश के खिलाफ योगी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ हिंसा पोस्टर मामला ▶ प्रदेश सरकार की याचिका पर आज होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दंगाइयों के पोस्टर हटाने का दिया था आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च को दिया था आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 9 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हिंसा और उपद्रव में आरोपित लोगों के पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार को ऐसे पोस्टर लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने पोस्टर लगाने को निजता के अधिकार का भी हनन कहा था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया था कि इस फैसले को अंजाम देकर क्रियान्वयन रिपोर्ट भी 16 मार्च या उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपने का निर्देश है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा करने वालों के पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल प्रभाव से पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन पीठ अर्जेंट (तत्काल) मामलों की सुनवाई के लिए बैठ रही है। यह पहला मौका है जबकि सुप्रीम कोर्ट में होली की एक सप्ताह की छुट्टियों को दौरान भी अवकाशकालीन पीठ बैठ रही है। अन्यथा अवकाशकालीन पीठ सिर्फ गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही बैठती थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने दैनिक जागरण को बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी ही। सिंह ने अपील में दिए गए आधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पोस्टर में नाम और फोटो छापने को हाई कोर्ट ने 'निजता के अधिकार' का हनन बताया है, जोकि ठीक नहीं है। चूंकि यह मामला निजता के अधिकार के तहत नहीं आता है। सिंह ने कहा कि जो चीजें पहले से सार्वजनिक हैं उन पर निजता का अधिकार नहीं लागू होता। इस मामले में पहले से सारी चीजें सार्वजनिक हैं। दूसरा आधार अपील में मामले को जनहित याचिका बनाए जाने को लेकर है। सिंह ने बताया कि यह मामला जनहित याचिका का नहीं माना जा सकता क्योंकि जनहित याचिका की अवधारणा उन लोगों के लिए लाई गई है जो किसी कारणवश कोर्ट आने में असमर्थ हैं। उनकी ओर से जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। या फिर जिन मामलों में आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा हो जैसे पर्यावरण संरक्षण आदि मामलों में जनहित याचिका हो सकती है लेकिन मौजूदा मामला ऐसा नहीं है।

एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह कहते हैं कि मौजूदा मामले में प्रभावित लोग कोर्ट जा सकते हैं और रिकवरी नोटिस के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए भी हैं। ऐसे में इस मामले को जनहित याचिका के तहत नहीं सुना जाना चाहिए। हालांकि सिंह ने याचिका का और ब्योरा व आधार साझा नहीं किए।

भड़काऊ खबरों को लेकर गूगल, फेसबुक व ट्विटर को नोटिस

आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने दायर की याचिका

जासं, नई दिल्ली : सोशल मीडिया के तीन बड़े प्लेटफार्म से भड़काऊ भाषण, लेख और फर्जी खबरें हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, फेसबुक, ट्विटर और गूगल से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया भड़काऊ भाषण फैलाने और फर्जी खबरों को वायरल करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पुलिस भड़काऊ विषयवस्तु पर रोक लगाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। सोशल मीडिया को इससे रोकने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

किरण बेदी के खिलाफ एकल पीठ का फैसला खारिज

चेन्नई, प्रेट्र: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को अपनी एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल (एलजी) किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। हाई कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभिन्नता की स्थिति में प्रशासक (किरण बेदी) द्वारा संदर्भित मामलों में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

केंद्र सरकार और प्रशासक (किरण बेदी) की अपीलों को अनुमति प्रदान करते हुए मुख्य न्यायाधीश एपी साही और जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद की पीठ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री की अगुआई में राज्य सरकार और उपराज्यपाल अलग-अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे। पुडुचेरी में सरकार और प्रशासक की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल के बीच कथित सत्ता संघर्ष को लेकर मुकदमेबाजी की श्रृंखला में यह ताजा आदेश है। पिछले साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देने को कहा था।

जस्टिस आर. महादेवन की एकल पीठ ने 30 अप्रैल, 2019 को कहा था कि मंत्रिपरिषद के जरिये काम कर रही निर्वाचित सरकार में प्रशासक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह आदेश कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर दिया था। याचिका में कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जनवरी और जून, 2017 में जारी उन दो आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें प्रशासक की शक्तियों में इजाफा किया गया था। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा दैनिक कामकाज में कथित हस्तक्षेप का हवाला भी दिया था। इनमें सरकारी अधिकारियों को वाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूर करने, वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप और निर्वाचित सरकार की अनदेखी करके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना शामिल है।

एलजी बनाम राज्य

- कहा, मिलकर काम करें पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल
- मतभिन्नता की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा

किरण बेदी। फाइल

राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता नलिनी की रिहाई याचिका खारिज

चेन्नई, एजेंसियां : मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता नलिनी की अग्रिम रिहाई संबंधी याचिका खारिज कर दी। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा था कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के अनुमोदन का इंतजार किए बिना तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले के आधार पर उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

याचिका में नलिनी ने कहा था कि 9 सितंबर 2018 से उसके कारावास को अवैध माना जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु कैबिनेट ने सभी सातों सजायाफ्ता को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया था। उसका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कैबिनेट ने सभी सातों की रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि नलिनी का कारावास अवैध नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का प्रस्ताव अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है। सातों सजायाफ्ता में एजी पेरारीवलन, टी. सत्येंद्रराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन व उसकी पत्नी नलिनी शामिल हैं।

बाल अधिकार आयोग ने दर्ज किए मदरसा छात्रों के बयान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

- उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कर रहा है जांच
- 20 दिसंबर के उपद्रव में बच्चों के शोषण से जुड़ा है मामला

सीएए के विरोध के नाम पर हुए उपद्रव के बाद मदरसा छात्रों के उत्पीड़न से जुड़ी खबरों पर जांच में जुटे उप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार को पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज किए। तीन दिन पूर्व भी आयोग अध्यक्ष व सदस्य ने जांच की थी।

20 दिसंबर को उप्र के मुजफ्फरनगर में सीएए के विरोध की आड़ में उपद्रव हुआ था। थाना सिविल लाइन व शहर कोतवाली में पुलिस ने 259 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा छह हजार अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आर्य समाज रोड स्थित सादात हास्टल में संचालित मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को गिरफ्तार कर उनका भी चालान कर दिया था। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में विशेष जांच रिपोर्ट प्रेषित की थी। इसमें चार आरोपित छात्रों के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही गई थी। चारों छात्रों को रिहा कर दिया गया था। एक दर्जन से अधिक आरोपित मदरसा छात्रों की धाराएं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर काट दी गई थीं। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आई इस तरह की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया था। तीन दिन पूर्व शासन के निर्देश पर आयोग अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता व सदस्य डा. जया ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर जांच शुरू की थी। आयोग ने मीनाक्षी चौक पर पहुंचकर आम नागरिकों से भी 20 दिसंबर की घटना के बारे में जाना था। लेकिन सादात हास्टल स्थित मदरसा में पीड़ित बच्चे नहीं मिले थे। बुधवार को मामले की जांच के लिए आयोग अध्यक्ष व सदस्य फिर से शहर में पहुंचे और सादात हास्टल मदरसा पहुंचकर छात्रों के बयान दर्ज किए।

पांच हजार करोड़ का बकाया, कटने लगी झारखंड की बिजली

जागरण संवाददाता, रांची : दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने झारखंड सरकार पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान को लेकर राज्य के अपने कमांड एरिया में चरणबद्ध बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। मंगलवार से डीवीसी ने जेवीवीएनएल (झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) को आठ घंटे तक बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। निगम ने आठ से 18 घंटे तक कटौती करने की बात कही है। निगम इससे पहले सरकार को कई बार अल्टीमेटम दे चुका है। डीवीसी प्रबंधन ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर 28 फरवरी तक बकाया पैसे की भुगतान करने को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक डीवीसी को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

जब तक झारखंड सरकार बकाया पैसे का भुगतान नहीं करती, तब तक बिजली की कटौती ऐसे ही जारी रहेगी। पैसे के अभाव में बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा का प्लांट चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है।

मध्य प्रदेश के डीजीपी होंगे वीके जौहरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के प्रमुख वीके जौहरी मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें मूल कैडर में वापस भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी जौहरी ऐसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल से राज्य पुलिस में भेजा गया है।

आइटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल) के महानिदेशक एसएस देसवाल को बीएसएफ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बुधवार को उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का प्रभार ग्रहण कर लिया। वह नई नियुक्ति या अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुआई वाली सरकार ने आइपीएस अधिकारी जौहरी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने निवर्तमान डीजीपी वीके सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में उसके निदेशक के रूप में भेज दिया है। साइबर सेल के महानिदेशक (डीजी)राजेंद्र कुमार को जौहरी के प्रभार लेने तक डीजीपी का कामकाज देखने के लिए कहा गया है। जौहरी के गुरुवार को भोपाल पहुंचने और अगले कुछ दिनों में नई जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यह भी उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम थमने के बाद मध्य प्रदेश में कुछ और भी तबादले हो सकते हैं। साथ ही अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो कई और विभागों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल (बाएं) बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण करते हुए। बीएसएफ के मौजूदा महानिदेशक वीके जौहरी को मध्यप्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। प्रेट्र

गंगा रक्षा को लेकर स्वामी शिवानंद ने शुरू किया तप

जासं, हरिद्वार

- कहा, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने तक जारी रहा रहेगा आंदोलन
- वह दिन में केवल पांच गिलास सादा पानी लेंगे।

मातृसदन परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने गंगा रक्षा को लेकर होली के दिन से तप (अनशन) शुरू कर दिया है। बुधवार को भी उनका तप जारी रही। इधर, मातृसदन के ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद ने फिलहाल अपना अनशन तोड़ दिया। शिवानंद ने डीजी (लॉ एंड आर्डर) अशोक कुमार पर मातृसदन के साथ हो रहे षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है।

मातृसदन आश्रम में अनशन कर रहे स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मलीन पूर्व प्रोफेसर ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा रक्षा संकल्प को पूरा कराने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की है। वह दिन में केवल पांच गिलास सादा पानी लेंगे। धीरे-धीरे इस पानी की मात्रा को भी कम करके चम्मच में कर देंगे। अंत में जल भी त्याग करके वह अपनी आत्मा को परम तत्व में विलीन कर पूर्व प्रोफेसर ज्ञान स्वरूप सानंद, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद और ब्रह्मचारिणी पद्मवती के संकल्प को बल देने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को आश्रम पहुंचे संत गोपालदास ने जानकारी दी कि डीजी (लॉ एंड आर्डर) अशोक कुमार ने उन्हें मातृसदन के खिलाफ सरकारी गवाह बनने लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। ऐसा न करने पर उनका 151 में चालान कर दिया गया। कहा कि, वह जल्द ही इसको लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजेंगे।

इधर, ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद ने दिल्ली एम्स से लौटकर मातृसदन आश्रम में 40वें दिन अपना अनशन समाप्त कर विराम दे दिया। उन्होंने 20 दिन से जल त्याग रखा था। शिवानंद ने बताया कि साध्वी पद्मावती का अनशन दिल्ली एम्स में भी 88वें दिन जारी रहा।

संघ के प्रतिनिधियों को मिलेगा रामलला का प्रसाद

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 15 से 17 मार्च तक कर्नाटक के चेनन हल्ली नामक स्थान पर होनी है। इस बैठक में संघ से जुड़े अनेक विषय आएंगे लेकिन, राममंदिर के निर्माण की खुशी सब पर भारी होगी।

इसका अंदाजा बैठक में देशभर से शामिल होने वाले 1450 प्रतिनिधियों को रामलला का प्रसाद दिए जाने की योजना से लगाया जा सकता है। अयोध्या से प्रसाद ले जाने का दायित्व डॉ. अनिल मिश्र को सौंपा गया है। डॉ. मिश्र मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य होने के साथ संघ की अवध प्रांत इकाई के कार्यवाह हैं। उन्होंने बताया कि संघ के प्रतिनिधियों को रामलला का वही प्रसाद दिया जाएगा, जो अर्से से रामलला को अर्पित होता रहा है।

इसमें इलायची दाना, मिश्री के साथ गरी, छुहारा और मखाना होगा। संघ का रामलला से सरोकार मंदिर आंदोलन से पूर्व का है। संघ के तत्कालीन नेतृत्व की ही प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने साढ़े तीन दशक पूर्व मंदिर आंदोलन का आगाज किया था। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व मंदिर आंदोलन पर बराबर नजर रखता रहा है और जरूरत पड़ने पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी राय भी जाहिर करता रहा है।

मंदिर के निर्माण में दिखेगा कारसेवा जैसा आंदोलन और उत्साह

रघुवरशरण, अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कारसेवा जैसे आंदोलन का सबब बनेगा। निर्माण तो स्थापत्य के विशेषज्ञ करेंगे पर मौके पर रामभक्तों की फौज भी सहयोगी की भूमिका में होगी। इस दिशा में विहिप के अलावा शिवसेना भी पहल करती नजर आ रही है।

25 मार्च से शुरू हो रहे वासंतिक नवरात्र के दौरान विहिप के संयोजन में पूरे देश में राम महोत्सव प्रस्तावित है। इसके साथ विहिप पूरे देश को भगवान राम के प्रति अनुराग से जोड़ने के साथ मंदिर निर्माण की खुशी में शामिल करने की तैयारी में है। राम जन्मोत्सव यानी दो अप्रैल को राम महोत्सव की पूर्णाहुति के साथ पांच दिनों की छुट्टी के बाद विहिप नेतृत्व आठ अप्रैल को पड़ रही चैत्र पूर्णिमा से पुनः सक्रिय होगा। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं, मंदिर निर्माण कारसेवकों के शौर्य एवं बलिदान से संभव हो रहा है और हम इस अहम घड़ी में उन्हें नहीं भुला सकते हैं।

राम मंदिर का मॉडल। फाइल फोटो

बिहार में उग्र भीड़ ने दो लुटेरों को पीटकर मार डाला

जासं, सोनबरसा (सीतामढ़ी)

- एक व्यवसायी को लूटकर भाग रहे थे तीन लुटेरे
- लोगों ने खदेड़कर दो को पकड़ा, तीसरा भाग निकला

बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस की सुस्ती से आक्रोशित लोगों ने सोमवार को कानून हाथ में ले लिया। उग्र भीड़ ने एक व्यवसायी को जख्मी करने के बाद रुपये लूटकर भाग रहे तीन बदमाशों को घेर कर पकड़ा। इनमें से दो को भीड़ ने ईंट-पत्थर व लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला। तीसरा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से लुटेरों के पिस्टल की मैग्जीन बरामद की। इसमें तीन गोलियां थीं। लेकिन पिस्टल हाथ नहीं लगी। पिस्टल की तलाश की जा रही है।

सोमवार सुबह करीब 6.20 बजे रामप्रवेश साह दुकान खोलकर बैठे थे। इसी दौरान बिना नंबर की अपाचे बाइक से तीन लुटेरे दुकान पर पहुंचे और पिस्टल की बट से मारकर व्यवसायी को जख्मी कर दिया। इसके बाद रुपये वाला बैग लूटकर बदमाश भागने लगे। रामप्रवेश ने शोर मचाया। होली को लेकर चौक पर चहल-पहल थी। लोग लुटेरों को खदेड़ने लगे। पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो की आवाज सुनकर हाईस्कूल के सामने जुटे लोगों ने आगे से ठेला लगाकर रास्ता रोक दिया। लुटेरे बाइक लेकर वहां गिर पड़े। इसके बाद भीड़ पर पिस्टल तान दी। यह देख लोग ईंट-पत्थर बरसाने लगे। तब तीनों लुटेरे तीन अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। इस दौरान एक हाईस्कूल के प्रांगण में घिर गया। जहां लोगों ने पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं, दूसरा बस स्टैंड में मारा गया जबकि तीसरा भाग निकला।

एसपी अनिल कुमार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पोंजी घोटाला : बंगाल में 16, हैदराबाद में एक जगह सीबीआइ ने मारा छापा

नई दिल्ली, एएनआइ : पोंजी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को आरोपितों के बंगाल स्थित 16 विभिन्न परिसरों और तेलंगाना में हैदराबाद स्थित एक परिसर पर छापेमारी की।

सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, 26 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैसर्स अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के खिलाफ आइपीसी की धारा- 420, 406, 409 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में उनके बंगाल और तेलंगाना स्थित 16 से ज्यादा परिसरों पर छापे मारे गए। आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों से 20 करोड़ रुपये की जमाएं एकत्रित की थीं। जमाओं की

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था मामला
- आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों के 20 करोड़ रुपये डकारे

निर्धारित अवधि पूरी होने पर आरोपितों ने भुगतान नहीं किया और निवेश की गई पूरी रकम का गबन कर लिया। सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि ग्रुप की कंपनियां लोगों से जमा एकत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं थीं और बहुत ज्यादा ब्याज का प्रलोभन देकर उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की। आरोपितों ने कथित रूप से मनी सर्कुलेशन स्कीमों का संचालन भी किया और पुराने जमाकर्ताओं को कुछ धनराशि लौटाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें और वे उन्हें ठग सकें।

मल्टी लेवल मार्केटिंग और पोंजी स्कीम से जुड़े एक अन्य मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक निजी कंपनी के निदेशकों-प्रमोटरों के बंगाल और कर्नाटक स्थित छह परिसरों पर छापेमारी की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 मई, 2018 को मैसर्स पायस ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी और अन्य निदेशकों-कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 406, 409, 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों से 35 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। बाद में उन्होंने लोगों के पैसे नहीं लौटाए और अपना कार्यालय बंद कर दिया। सीबीआइ के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

पॉक्सो के आरोपित को सीएम योगी ने कराया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान पॉक्सो के एक आरोपित को गिरफ्तार करा दिया। आरोपित गोरखपुर के गुलरिहा पुलिस की शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंचा था। डीएम और एसएसपी द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने आरोपित से पीड़ित दो बच्चियों को बालिका संरक्षण गृह में भेजने का भी निर्देश दिया। जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनने के लिए मुख्यमंत्री बुधवार सुबह सात बजे गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम पहुंचे थे। यहां बारी-बारी से फरियादियों की समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री सराय गुलरिहा के रहने वाले रामनारायण गुप्ता तक पहुंचे। रामनारायण ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुलरिहा पुलिस उसे परेशान कर रही है। तभी पास में बैठीं दो नाबालिक अनाथ बच्चियों ने बताया कि रामनारायण उन्हें परेशान करता है। बच्चियों के मुताबिक रामनारायण ने धोखे से उनके मकान की रजिस्ट्री करा ली है, जिससे रिहाइश का संकट खड़ा हो गया है।

डीएम और एसएसपी की जानकारी में यह मामला पहले से था। उन्होंने मुख्यमंत्री को रामनारायण पर पॉक्सो लगाए जाने की जानकारी दे दी। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम को निर्देश दिया कि वह दोनों अनाथ बच्चियों को बालिका संरक्षण गृह भेजने का इंतजाम करें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में गोरखपुर और आसपास से आए करीब 150 लोगों की फरियाद सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने अधिकारियों को सक्रियता बरतने की हिदायत भी दी।

ट्रेन से यात्री का बैग चोरी, पीड़ित ने खुद को बताया शाह का भतीजा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद

खुद को गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बता रहे विराज नाम के युवक का बैग अहमदाबाद-लखनऊ एक्सप्रेस से चोरी हो गया। उसमें लैपटॉप, मोबाइल, नकदी व अन्य कागजात थे। बुधवार को फर्रुखाबाद जीआरपी में उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बैग ले जाते दिख रहा है। विराज ने बताया कि ट्रेन के लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने जीआरपी थाने में सूचना दी। वहां से उन्हें फर्रुखाबाद जाने की सलाह देकर टरका दिया गया।

अहमदाबाद के थाना सेटेलाइट क्षेत्र निवासी विराज मंगलवार को अहमदाबाद-लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन की कोच संख्या बी-2 में सवार हुए थे। वह लखनऊ जा रहे थे। फर्रुखाबाद से ट्रेन रवाना होने के बाद उन्होंने देखा तो उनका एक बैग गायब था। इसमें लैपटॉप, नकदी, मोबाइल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम और क्रेडिट कार्ड थे। इसी बोगी की सीट नंबर 39 पर यात्रा कर रहे गुजरात के ही रहने वाले एक यात्री ने बताया कि 40 नंबर सीट पर यात्रा कर रहा युवक फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा था। वह उनका बैग ले गया। विराज बुधवार को फर्रुखाबाद जीआरपी थाने आए और खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताया। कुछ देर बाद सदर विधायक मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी भी थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्लेटफार्म नंबर पांच पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें एक युवक लैपटॉप ले जाते हुए दिखा। विराज ने बैग पहचान लिया। युवक का फोटो साफ नहीं है। जीआरपी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि बैग की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।